

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक

05.11.2022

twitter-@rampurpolice
@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर श्री अशोक कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवाकर अपराधियों को सजा दिलाने हेतु निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक एवं कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप दिनांक 05-11-2022 को माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट/एडीजे-8 रामपुर द्वारा थाना मिलक पर पंजीकृत मु0अ0सं0-330/2015 धारा-363,366,376 भादवि व 3 (1)(गप्प) एससी/एसटी एक्ट व 4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध आरोपी आसिफ पुत्र हनीफ निवासी ग्राम सिसौना थाना खजुरिया, रामपुर को धारा 4 पाक्सो एक्ट में 07 वर्ष का कठोर कारावास, 10000 रुपये के अर्थदण्ड। धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास, 3000 रुपये के अर्थदण्ड। धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास, 5000 रुपये के अर्थदण्ड। धारा 3 (1)(XII) एससी/एसटी एक्ट में 01 वर्ष का साधारण कारावास, 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।